-::निर्णय::-

दिनांक 29.09.2025

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार यह है कि प्रार्थी के नाम चक 17 एमएमके खाता सं. 98/73 प.न. 106/208 मु.न. 29 कि.न. 21, 22 प.न. 106/209 मु.न. 38 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल 2.024 हैक्टेयर आराजी दर्ज रिकार्ड है।

अप्रार्थीया के नाम चक 17 एमएमके प.न. 106/209 मु.न. 38 कि.न. 8, 13, 18, 19, 20, 23 कुल 1.518 हैक्टेयर आराजी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपियां जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह है कि प्रार्थी की चक 17 एमएमके प.न. 106/209 मु.न. 38 कि.न. 10 में ढाणी बनी हुई है। प्रार्थी अपने उक्त वर्णित भूमि में प्रवेश के लिए प.न. 106/209 मु.न. 38 कि.न. 6, 7, 8 के दक्षिण छोर में पूर्व से पश्चिम रास्ता अर्सा दराज पूर्व से चला आ रहा है जिससे प्रार्थी प्रवेश करता है। प्रार्थी की कि.न. 10 में बनी ढाणी में पहूंच हेतु एकमात्र रास्ता वांछित रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। आदि आदि कथन कर प्रार्थना पत्र पेश किया व अनुतोष में याचित किया गया कि चक 17 एमएमके अप्रार्थी की भूमि प.न. 106/209 मु.न. 38 कि.न. 6, 7, 8 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला में 10 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जावें।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक के शामिल पत्रावली किया गया। जिससे प्रकरण में कोई विरोध होना प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया–

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ चक 17 एमएमके प.न. 106/209 मु.न. 38 कि. न. 6/.025, 7/0.025, 8/.025 हैक्टेयर उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मुताबिक राजीनामा रास्ता की एवज में प्रार्थी के नाम दर्ज चक 17 एमएमके प.न. 106/208 मु.न. 29 कि.न. 22 में 0.013 हैक्टेयर (कि.न. 23 के चिपता पूर्वी दिशा में) कम की जाकर अप्रार्थीया गुरप्रीत कौर को 0.013 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुदा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ